भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1248
जिसका उत्तर बुधवार, 25 जुलाई, 2018 को दिया जाना है

एआईजेएस

+1248. श्री रामचरण बोहरा :

डॉ. उदित राज :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) के सृजन के लिए हुई प्रगति की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या प्रस्तावित एआईजेएस के संबंध में राज्यों और उच्च न्यायालयों से मांगे गए सुझाव प्राप्त हो गए हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में किसी सलाहकार परिषद का गठन किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) प्रस्तावित एआईजेएस के शीघ्र सृजन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या उक्त सेवा के सृजन का आदेश वर्ष 2009 में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया था तथा यदि हां, तो उक्त आदेश के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)

(क) : सरकार ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) के गठन पर राज्यों और उच्च न्यायालयों की राय में मतभेद को ध्यान में रखते हुए सामान्य आधार पर पहुंचने के लिए परामर्शकारी प्रक्रिया प्रारंभ की है।

(ख) : राज्यों और उच्च न्यायालयों से एआईजेएस के गठन के लिए प्रतिपादित व्यापक प्रस्ताव जो नवंबर, 2012 में सचिवों की समिति द्वारा सिफारिश किए गए थे, पर विचार मांगे गए थे।

सिक्किम और त्रिपुरा उच्च न्यायालय एआईजेएस के गठन के लिए सचिवों की समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर सहमत हैं। आंध्र प्रदेश, बम्बई, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, मद्रास, मणिपुर, पटना, पंजाब और हरियाणा तथा गुवहाटी उच्च न्यायालय एआईजेएस के गठन के

प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है । इलाहाबाद, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा और झारखंड उच्च न्यायालयों में प्रवेश स्तर पर आयु, अर्हताएं, प्रशिक्षण और एआईजेएस के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों के कोटे में परिवर्तन सुझाए हैं । झारखंड और राजस्थान उच्च न्यायालयों ने यह उपदर्शित किया है कि मामला विचार के लिए लंबित है। बहुत से उच्च न्यायालय चाहते हैं कि संबंधित उच्च न्यायालयों का अधीनस्थ न्यायपालिका पर प्रशासनिक नियंत्रण बना रहे।

अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, मेघालय, नागालैंड और पंजाब राज्य सरकारें एआईजेएस के गठन के पक्ष में नहीं है । महाराष्ट्र राज्य सरकार चाहती है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग (जेएमएफसी) स्तर पर भर्ती की जानी चाहिए । बिहार, छत्तीसगढ़, मणिपुर, उड़ीसा और उत्तराखंड राज्य की सरकारें केंद्रीय सरकार द्वारा प्रतिपादित प्रस्ताव में परिवर्तन चाहती है । हरियाणा राज्य सरकार ने यह कथन किया है कि प्रस्ताव न्यायोचित प्रतीत होता है । मिजोरम राज्य सरकार ने आईएएस, आईपीएस, और अन्य केंद्रीय सेवाओं के अनुसार एआईजेएस के सृजन का समर्थन किया है।

(ग) और (घ) : जिला न्यायाधीश के पद पर भर्ती और सभी स्तरों पर न्यायाधीशों/ न्यायिक अधिकारियों के चयन की प्रक्रिया के पुनर्विलोकन में सहायता करने के लिए न्यायिक सेवा आयोग के सृजन के संबंध में मामला मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन, जो 3 और 4 अप्रैल, 2015 को आयोजित किया गया था, की कार्यसूची में भी सम्मिलित किया गया था । यह निश्चय किया गया था कि इसे संबंधित उच्च न्यायालय पर छोड़ दिया जाए कि वह जिला न्यायाधीशों की शीघ्र नियुक्ति के लिए रिक्तियों को भरने के लिए विद्यमान प्रणाली के भीतर समुचित पद्धति विकसित करें।

इसके अतिरिक्त एआईजेएस के गठन के लिए प्रतिपादित व्यापक प्रस्ताव जो उच्च न्यायालयों और राज्यों से प्राप्त विचारों के साथ नवंबर, 2012 में सचिवों की समिति द्वारा सिफारिश किए गए थे, को 5 अप्रैल, 2015 को आयोजित मुख्य मंत्रियों और उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों के संयुक्त सम्मेलन की कार्यसूची में सम्मिलित किया गया था । तथापि, इस विषय पर कोई प्रगति नहीं हुई थी।

(ड.) : भारत के उच्चतम न्यायालय ने आल इंडिया जजेस एसोसिएशेन बनाम भारतसंघ और अन्य के मामले में दिए गए, अपने तारीख 13.11.1991 के निर्णय में यह सिफारिश की थी कि सरकार को अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना के लिए विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के क्रियान्वयन की व्यवहार्यता का परीक्षण करना चाहिए । उन्होंने इसे समान मामले में तारीख 24/11/1993 में अपने विनिश्चय में पुन: दोहराया है।

****